परिशिष्ट "अ"

तारांकित प्रश्न क्रमांक -699

संक्षेपिका

जिले की तहसील रधुराजनगर के अन्तर्गत पटवारी हत्का सिजहटा के मौजा सुनौरा के शासकीय आराजी क्रमांक-44 एवं 38 के संबंध में आवेदक त्रिवेणी प्रसाद द्वारा आवेदन पत्र दिए जाने पर नगर पुलिस अधीक्षक सतना से जॉच उपरांत अपराध क्रमांक 168/2016 धारा 420,467,468,471,34 ता.हि.का प्रकरण थाना कोलगवॉ में पंजीबद्ध कर अनुसंधान में है। प्रश्नांश में उल्लेखित शेष अराजियों के संबंध में उल्लेखित कृषकों के नाम कूटरचित दस्तावेज तैयार कर खुर्द बुर्द करने का स्थल पंचनामा राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 12.03.16 को तैयार किया गया है। जिसके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य हेतु नगर पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा पत्राचार किया गया है। जानकारी अपेक्षित है, जो प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत विधि अनुरूप कार्यवाही की जावेगी। प्रश्नांश में उल्लेखित शेष सात कृषकों के संबंध में भी राजस्व विभाग से जानकारी अपेक्षित है।

प्रश्नांश में वर्णित अपराध में फर्जी बद्रीप्रसाद ब्राम्हण के नाम से रजिस्ट्री कराने वाले लक्ष्मण सिंह की गिरफ्तारी दिनांक 15.06.2016 को की गई है। यह सही है कि नगर पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा पत्र क्रमांक 3958 दिनांक 01.12.2016 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर से जानकारी माँगी गई थी, जो अपेक्षित है।

जानकारी राजस्व विभाग से प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत विधि अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1),
मंत्रालय, भोपाल.

5/12/19
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL